

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

प्रवेश तिथि

निर्णय दिनांक

12/124/2017

02-08-2017

16-05-2018

01- तथु पुत्र चाहतं जाति मेव निवासी ग्राम नेहडा का बास(मलावली) तहो लक्ष्मणगढ जिला अलवर

--: उपीलाण्ट

बनाम

01- नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।

--: रेषो डेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार  
लक्ष्मणगढ दिनांक 24.07.2017 अन्तर्गत द्वारा  
91 भू राज्य अधिनियम प्रकरण संख्या  
25/2017

उपस्थितः--

01-श्री उमाशंकर खंडेलवाल

--वकील अपीलाण्ट

--:निर्णयः--

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ के आदेश दिनांक 24.07.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मलावली की किस्म कब्रिस्तान आराजी खसरा नम्बर 633 रकबा 0.46 है० में से 0.01 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेषो० को जर्जे सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मलावली की किस्म कब्रिस्तान आराजी खसरा नम्बर 633 रकबा 0.46 है० में से 0.01 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 12.07.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेवॉर्ड एवं पटवारी इत्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2017 में कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी इत्का दोहरा मलावली द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 24.04.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल नगर होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनया गया।



(राकेश कुमार )  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)